

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला  
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि० न० - 95/2018

अनवान:-




1. चेताराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा - मृत जरिए विधिक प्रतिनिधिगण
- 1/1 बादो पत्नी स्व० चेताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/2 शिशपाल पुत्र स्व० चेताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/3 गुड्डी पुत्री स्व० चेताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/4 चन्द्रकला पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/5 शीलोदेवी पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/6 राजपाल पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/7 चन्द्रभान पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/8 भूराराम पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/9 मंजुवाला पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/10 देवीलाल पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/11 दर्शनादेवी पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
2. महावीर पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
3. राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा - मृत जरिए विधिक प्रतिनिधिगण
- 3/1 राकेश कुमार पुत्र स्व० राजेन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
- 3/2 प्रमोद पुत्र स्व० राजेन्द्र जाति जाट निवासी गांव मुन्सरी त० भादरा ।

-वादीगण

बनाम

1. गीता पुत्री उदमी जाति जाट निवासी गांव मुन्सरी त० भादरा ।
2. राजेन्द्र पुत्र श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
3. महेन्द्र पुत्र श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
4. सरबती पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
5. सोवन्ती पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

## चेतराम आदि बनाम गीता आदि

6. सूमित्रा पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
7. सन्तोष पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
8. सिलोचना पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
9. ओमप्रकाश पुत्र गिरदावरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
10. कमला पुत्री गिरदावरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
11. राजकुमार पुत्र गिरदावरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
12. कलावती पुत्री मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
13. माया पुत्री मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
14. राजस्थान सरकारी जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा ।

-प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती  
अन्तर्गत धारा 88 राज0 कास्त0  
अधिनियम ।


उपस्थिति : वकील श्री भानुप्रताप सिंह : वादीगण

सतवीर सिंह : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 08/7/22

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 147/172 के मु0 नं0 19 के किला नं0 1 ता 3, मु0 नं0 20 के किला नं0 4 व 5 मु0 नं0 40 के किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 41 के किला नं0 14, 16, 17, 25 मु0 नं0 52 के किला नं0 1 ता 4 कुल किता 21 की 5.313 है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि वादी चेताराम व वादीगण सं0 2 व 3 के पिता मूलचन्द व प्रतिवादीया गीता तथा वादी चेताराम की माता चावली बहन श्योकोरी व गिरदावरी के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोहीमोजा चक 10 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 101/138 के मु0 नं0 58 के किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0 नं0 59 के किला नं0 11 व 20 कुल किता 11 की 2.783 है0 खातेदारी में वादी चेताराम के पिता उदमी वल्द लिछमण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। रोहीमोजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं0 62/64 के खसरा सं0 120 की 13.672 है0 बारानी खातेदारी में वादी चेताराम के नाम से 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण सं0 2 व 3 व उनकी माता स्व0 चन्द्रपति तथा वादीगण सं0 2 व 3 की बहन प्रतिवादी माया व कलावती के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार रोही मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं0 55/57 के खसरा सं0 4 की 2.2510 है, खसरा सं0 15 की 4.199 है0 खसरा सं0 455/15 की 0.609 है0 कुल किता 3 की 7.059 है0 बारानी खातेदारी में वादी चेताराम के नाम से 1/4

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)


## चेतराम आदि बनाम गीता आदि

हिस्सा व वादीगण सं० 2 व 3 तथा उनकी माता मृतका चन्द्रपति व वादीगण सं० 2 व 3 की बहनें माया व कलावती के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार रोहीमोजा करनपुराबारानी के वर्तमान खाता सं० 65/62 के खसरा सं० 218 की 9.067 है० बारानी खातेदारी में वादी चेताराम के नाम से 1/4 हिस्सा व वादीगण सं० 2 व 3 तथा उनकी माता स्व० चन्द्रपति तथा वादीगण सं० 2 व 3 की बहनें माया व कलावती के नाम से संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोहीमोजा चक 12 एमएसआर के वर्तमान सं० 113/103 के मु० नं० 52 के किला नं० 7 ता 14, 17 ता 24 की 4.048 है० नहरी खातेदारी में वादी चेताराम उर्फ चेतन के नाम 1/2 हिस्सा व वादीगण सं० 2 व 3 के पिता स्व० मूलचन्द उर्फ मूलसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी चेताराम का अन्य खातेदारी एवं अन्य दस्तावेज में सही नाम चेताराम दर्ज चला आ रहा है परन्तु जमाबन्दी चक 12 एमएसआर के खाता सं० 103/113 में वादी का नाम चेताराम की बजाय चेतन दर्ज चला आ रहा है जिसे वादी दुरुस्त करवाकर चेताराम वल्द उदमीराम करवाने का अधिकारी है।

वादभूमि पहले वादीगण के पूर्वज उदमी की खातेदारी हुआ करती थी। उदमी व उदमी की पत्नी चावली के देहान्त हेने उक्त भूमि विरासतन में उदमी के दो पुत्र वादी चेताराम व मूलचन्द तथा तीन पुत्री गीता, श्योकोरी व गिरदावरी को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई। बाद में उक्त वादभूमि में श्योकोरी व गिरदावरी व गीता ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों चेताराम व मूलचन्द के पक्ष में अपना हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था तथा उक्त भूमि मूलचन्द व चेताराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी, मूलचन्द व मूलचन्द की पत्नी चन्द्रपति के देहान्त होने पर मूलचन्द व चन्द्रपति के हिस्सा की भूमि वादीगण सं० 2 व 3 तथा प्रतिवादीया माया व कलावती को प्राप्त हुई जिसमें प्रतिवादीया माया व कलावती ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण सं० 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर उदमी की उक्त खातेदारी में आधा भाग वादी चेताराम व आधा भाग वादीगण सं० 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गया था तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। वादी चेताराम की बहन श्योकोरी व गिरदावरी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान को दावा में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादभूमि में श्योकोरी, गिरदावरी, चन्द्रपति, चावली, मूलचन्द का देहान्त हो चुका है। बावजूद इसके वादभूमि में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा गिरदावरी व श्योकोरी गीता तथा प्रतिवादी माया व कलावती के द्वारा अपना हक हिस्सा तर्क कर दिये जाने के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 व 10 ता

  
उपस्थानधिकारी (राजस्व),  
भुवनेश्वर (जिला-हनुमानगढ़)

## चेतराम आदि बनाम गीता आदि

13 ने लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 9 ने जवाबदावा पेश कर वादीगण के दावा को स्वीकार किया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यू 1 चेताराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एमएसआर खाता सं० 147/172 सम्बत् 2072 से 75, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एमएसआर खाता सं० 113/103 सम्बत् 2072 से 75, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मुन्सरी बारानी खाता सं० 55/57, 62/64 सम्बत् 2070 से 73, रोही करनपुरा बारानी के खाता सं० 65/62 की सत्य प्रतिलिपि, चक 10 एमएसआर. के खता सं० 101/138 की सत्य प्रतिलिपि, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड पेश कर प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य वादी होने के उपरान्त वादी चेताराम व राजेन्द्र की मृत्यु हो गई जिनके वारीसान को पक्षकार वादीगण बनाया गया। संशोधित वादपत्र शीर्षक पेश किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने चक 12 एमएसआर, 10 एमएसआर, मुन्सरी बारानी, करनपुरा बारानी में स्थित भूमि में अपने मृत सहखातेदान का नाम कलमजन करवाने व खाता दुरुस्त करवाकर घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात व जमाबन्दीयात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादभूमि की जमाबन्दीयां, मूलाराम, चावली, उदमीराम, चन्द्रपति के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से वाद वादीगण साबित पाया गया है।

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण एवं राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोहीमोजा चक 12 एमएसआर 12 वर्तमान खाता सं० 147/172 के मु० नं० 19 के किला नं० 1 ता 3, मु० नं० 20 के किला नं० 4 व 5 मु० नं० 40 के किला नं० 17 ता 24, मु० नं० 41 के किला नं० 14, 16, 17, 25 मु० नं० 52 के किला नं० 1 ता 4 कुल कित्ता 21 की 5.313 है० मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि चेताराम, मूलचन्द, प्रतिवादीया गीता तथा चावली, श्योकोरी, गिरदावरी के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी से कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार तथा वादी महावीर 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा चक 10 एमएसआर के वर्तमान खाता सं० 101/138 के मु०

  
मुख्य अधिकारी (राजस्व),  
जिला-हनुमानगढ़

## चेतराम आदि बनाम गीता आदि

नं० 58 के किला नं० 13 ता 18,23 ता 25 मु० नं० 59 के किला नं० 11 व 20 कुल कित्ता 11 की 2.783 है० जिसमें उदमी का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार तथा वादी महावीर का 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं० 62/64 के खसरा सं० 120 की 13.672 है० बारानी खातेदारी में चेताराम, चन्द्रपति, माया, कलावती, राजेन्द्र का नाम कलमजन कर वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी महावीर को 1/4 हिस्सा व वादीगण 3/1, 3/2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार, इसी प्रकार रोही मोजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान सं० 55/57 के खसरा सं० 4 की 2.2510 है०, खसरा सं० 15 की 4.199 है० खसरा सं० 455/15 की 0.609 है० कुल कित्ता 3 की 7.059 है० बारानी खातेदारी में चेताराम, चन्द्रपति, माया, कलावती, राजेन्द्र का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा वादी महावीर को 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा करनपुराबारानी के वर्तमान सं० 65/62 के खसरा सं० 218 की 9.067 है० बारानी खातेदारी में चेताराम, राजेन्द्र, चन्द्रपति, माया, कलावती का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा वादी महावीर को 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा चक 12 एमएसआर के वर्तमान खाता सं० 113/103 के मु० नं० 52 के किला नं० 7 ता 14, 17 ता 24 की 4.048 है० नहरी खातेदारी में चेतन व मूलसिंह का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा वादी महावीर को 1/4 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे, पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया

जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शकुन्तला चौधरी)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),  
R.A.S.  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला

हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस



मि० न० - 95/2018

अनवान:-

1. चेताराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा - मृत जरिए विधिक प्रतिनिधिगण
- 1/1 बादो पत्नी स्व० चेताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/2 शिशपाल पुत्र स्व० चेताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/3 गुड्डी पुत्री स्व० चेताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/4 चन्द्रकला पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/5 शीलोदेवी पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/6 राजपाल पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/7 चन्द्रभान पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/8 भूराराम पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/9 मंजुबाला पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/10 देवीलाल पुत्र स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 1/11 दर्शनादेवी पुत्री स्व० जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
2. महावीर पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
3. राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा - मृत जरिए विधिक प्रतिनिधिगण
- 3/1 राकेश कुमार पुत्र स्व० राजेन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा
- 3/2 प्रमोद पुत्र स्व० राजेन्द्र जाति जाट निवासी गांव मुन्सरी त० भादरा ।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

-वादीगण

बनाम


1. गीता पुत्री उदमी जाति जाट निवासी गांव मुन्सरी त० भादरा ।
2. राजेन्द्र पुत्र श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।
3. महेन्द्र पुत्र श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त० भादरा ।

## चेतराम आदि बनाम गीता आदि

4. सरबती पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
5. सोवन्ती पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
6. सूमित्रा पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
7. सन्तोष पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
8. सिलोचना पुत्री श्योकोरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
9. ओमप्रकाश पुत्र गिरदावरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
10. कमला पुत्री गिरदावरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
11. राजकुमार पुत्र गिरदावरी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
12. कलावती पुत्री मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
13. माया पुत्री मूलचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा ।
14. राजस्थान सरकारी जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा ।

-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानुप्रताप सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोहीमोजा चक 12 एमएसआर 12 वर्तमान खाता सं0 147/172 के मु0 नं0 19 के किला नं0 1 ता 3, मु0 नं0 20 के किला नं0 4 व 5 मु0 नं0 40 के किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 41 के किला नं0 14, 16, 17, 25 मु0 नं0 52 के किला नं0 1 ता 4 कुल कित्ता 21 की 5.313 है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि चेताराम, मूलचन्द, प्रतिवादीया गीता तथा चावली, श्योकोरी, गिरदावरी के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी से कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार तथा वादी महावीर 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा चक 10 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 101/138 के मु0 नं0 58 के किला नं0 13 ता 18,23 ता 25 मु0 नं0 59 के किला नं0 11 व 20 कुल कित्ता 11 की 2.783 है0 जिसमें उदमी का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार तथा वादी महावीर का 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं0 62/64 के खसरा सं0 120 की 13.672 है0 बारानी खातेदारी में चेताराम, चन्द्रपति, माया, कलावती, राजेन्द्र का नाम कलमजन कर वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी महावीर को 1/4 हिस्सा व वादीगण 3/1, 3/2 को संयुक्त

  
 अधिकारी (राजस्व),  
 जिला-हनुमानगढ़

## चेतराम आदि बनाम गीता आदि

रूप से 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के अनुसार, इसी प्रकार रोही मोजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान सं० 55/57 के खसरा सं० 4 की 2.2510 है०, खसरा सं० 15 की 4.199 है० खसरा सं० 455/15 की 0.609 है० कुल किता 3 की 7.059 है० बारानी खातेदारी में चेताराम, चन्द्रपति, माया, कलावती, राजेन्द्र का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा वादी महावीर को 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा करनपुराबारानी के वर्तमान सं० 65/62 के खसरा सं० 218 की 9.067 है० बारानी खातेदारी में चेताराम, राजेन्द्र, चन्द्रपति, माया, कलावती का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा वादी महावीर को 1/8 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के अनुसार, इसी प्रकार रोहीमोजा चक 12 एमएसआर के वर्तमान खाता सं० 113/103 के मु० नं० 52 के किला नं० 7 ता 14, 17 ता 24 की 4.048 है० नहरी खातेदारी में चेतन व मूलसिंह का नाम कलमजन कर उसमें वादीगण 1/1 ता 1/11 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा वादी महावीर को 1/4 हिस्सा तथा वादीगण 3/1 व 3/2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 13 अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्यागकर शुन्य कर लिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना-अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/11/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी)  
 R.A.S.  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 भादरा जिला हनुमानगढ़